राजस्थान सरकार
निदेशालय पशुपालन जयपुर

क्रमांकः– एफ.वी.()उ.नि.कु./विविध/2019–20/ दिनांकः–

परिपत्र

पशु कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न स्वयं सेवी संस्थानों द्वारा निदेशालय पशुपालन, राजस्थान को अवगत करवाया गया है कि प्रत्येक वर्ष कुक्कुट पालकों/हेचरी द्वारा अनचाहे, बीमार/अनुवांशिकी रूप से विकृत चूजों को अमानवीय, क्रूर एवं गैर कानूनी तरीके से मार दिया जाता है। इस तरह से चूजों को मारना Perevention of Cruelty to Animals Act, 1960 की धारा 11 के विभिन्न प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है व दण्डनीय अपराध है। अनचाहे चूजों को मारने के लिए राज्य के कुक्कुट पालकों/हेचरी द्वारा अपनायी जा रही अवैध एवं क्रूर प्रथाओं के स्थान पर इस हेतु भारत के विधि आयोग द्वारा अनुशंसित कानून एवं Animal Welfare Board of India (AWBI) द्वारा जारी दिशा–निर्देशों(AWBI पत्रांग दिनांक 09.03.2012) के अन्तर्गत नत्रजन गैस/अक्रियाशील गैस अथवा Inj. Barbiturate का उपयोग लिये जाने की सलाह दी जाती है।

अतः जिले में संचालित हेचरी/कुक्कुट पालन केन्द्रों पर अवैध और क्रूर प्रथाओं के उपयोग पर प्रभावी रोकथाम लगाते हुए यह सुनिश्चित करें कि Animal Welfare Board of India (AWBI) और भारत के विधि आयोग द्वारा अनुशंसित कानून एवं मानवीय तरीकों को ही अपनाया जाये।

sd
(डॉ. विरेन्द्र सिंह)
निदेशक

क्रमांकः– एफ.वी.()उ.नि.कु./विविध/2019–20/42-47 दिनांकः– 16/06/2020

प्रतिलिपिः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. निजी सचिव, शासन सचिव, पशुपालन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. समस्त संभागीय अतिरिक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, राजस्थान।
3. समस्त जिला संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, राजस्थान।
4. उपनिदेशक, राजकीय कुक्कुट फार्म खातीपुरा, जयपुर।
5. उपनिदेशक राजकीय कुक्कुट प्रशिक्षण संस्थान, पशुपालन विभाग, अजमेर।
6. उपनिदेशक (कुक्कुट अनुभाग) निदेशालय, पशुपालन, जयपुर।

निदेशक